

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद
जिला — गरियाबंद (छ0ग0)

7706-241350

Email dfogariaband@gmail.com

7706-241407

क्रमांक / मा.चि. / भू-प्र. / 3431

गरियाबंद, दिनांक 22/09/2018

प्रति,

कार्यालय अभियंता
अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग,
छ.ग. स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
गुड़ियारी रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 111.456 hac. of forest land in favour of Executive Engineer, EHT: (Constn.) Division, CSPTCL, Raipur for construction of 132 KV DCSS Nagri-Indagaon Transmission Line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Dhamtari and Gariaband Districts in the State of Chhattisgarh Registration No. FP/CG/TRANS/22047/2016.

- संदर्भ :-**(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-27/2018-NGP/3791 दिनांक 06/06/2018.
(2) आपका पत्र क्रमांक/का.यं./अ.उ.दा. (नि.)/1787 रायपुर, दिनांक 19/06/2018.
(3) इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./भू-प्र/3146 गरियाबंद, दिनांक 04.08.2018.
(4) इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./भू-प्र/3282 गरियाबंद, दिनांक 04.09.2018.
(5) अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/ विद्युत/479-158/ 2910, दिनांक 04.09.2018.

—000—

उपरोक्त विषयांतर्कित संदर्भ में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य नगरी — इंदागांव 132 के.व्ही. ट्रांसमिशन लाईन रकबा 111.456 हेक्टे. वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई है। प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा एन.पी.व्ही. /सी.ए. की राशि जमा करने का पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके संदर्भ में संदर्भित पत्र क्र. 03 के द्वारा जमा किये जाने वाले राशि के संबंध में लेख है, संदर्भित पत्र क्र. 04 के द्वारा संशोधित राशि जमा करने के संबंध में लेख है, संदर्भित पत्र क्र. 05 के निर्देशानुसार संशोधित राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	राशि रुपये में
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (223 हेक्टे.) वर्ष 2018-19 हेतु (6,60,245.00 प्रति हे.)	14,72,34,635.00
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	14,18,35,299.00
योग:-		28,90,69,934.00

(अक्षरी — अठाईस करोड़ नब्बे लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौतीस रुपये मात्र)

उक्त राशि वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चालान उत्पन्न कर कैम्पा खाता में जमा करें एवं जमा पावती इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है।


वन संरक्षक
सह प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद